गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर।

ई–मेल: ceogida-up@up.gov.in, ceogida@rediffmail.com

आदेश

अनुबन्ध संख्या 21/गीडा/2021 दिनांक 25.11.2021 के अन्तर्गत मेसर्स ए0के0 ट्रेडर्स (प्रोपराइटर–श्री अभिषेक सिंह), पता–म0नं0 सी0/185सी (निकट शिव मंदिर), मोहल्ला बिलन्दपुर, गोरखपुर द्वारा गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर–26 भीटी रावत में गारमेन्ट कलस्टर के अन्तर्गत 18 मीटर चौड़ी सड़क, नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य कराया जाना था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य **प्रारम्भ तिथि 25.11.2021 एवं समाप्ति की तिथि 24.05.2022 थी।** संबंधित फर्म द्वारा समय से कार्य पूर्ण न करने के कारण कार्यहित में दो बार समयवृद्धि प्रदान की गयी है। समयवृद्धि के उपरान्त कार्य समाप्ति की तिथि 14–02–2023 थी, परन्तु फर्म द्वारा वर्तमान समय तक कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है स्थल पर कार्य काफी समय से बन्द है। कार्य पूर्ण न होने की दशा में फर्म की प्रगति बढ़ाकर कार्य को पूर्ण करने के लिए निम्न पत्र प्रेषित किये गये :–

1– पत्रांक संख्या 4515/अभि0नि0–6/गीडा/2022–23 दिनांक 02 दिसम्बर 2022
2– पत्रांक संख्या 5394/अभि0नि0–6/गीडा/2022–23 दिनांक 24 जनवरी 2023
3– पत्रांक संख्या 5701/अभि0नि0–6/गीडा/2022–23 दिनांक 20 फरवरी 2023

उपरोक्त पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात भी फर्म द्वारा न ही बन्द कार्य को शुरू किया गया है और न ही कार्यों को पूर्ण किया गया है। जबकि गारमेन्ट पार्क सेक्टर–26 अति महत्वाकांक्षी योजना है। कार्य पूर्ण न होने से योजना की प्रगति प्रभावित हो रही है तथा प्राधिकरण एवं शासन की छवि धूमिल हो रही है, जो वित्तीय नियमावली एवं अनुबन्ध के प्राविधानों का उल्लंघन है। जिससे यह स्पष्ट है कि फर्म द्वारा अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। जो मनमानेपन का द्योतक है तथा फर्म के कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है।

उक्त नोटिस के बाद भी कार्य समयान्तर्गत पूर्ण न करने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या 5865/सी0ई0ओ0–पी0ए0/2022–23 दिनांक 01 मार्च 2023 द्वारा अन्तिम नोटिस देते हुये फर्म को काली सूची में डालने की चेतावनी भी दिया गया था, जो निम्नवत् है :–

"उपरोक्त कार्य आपके फर्म को अनुबन्धित किया गया है। अनुबन्ध के अनुसार कार्य की प्रारम्भ तिथि 25–11–2021 एवं समाप्ति की तिथि 24–05–2022 थी। कार्यहित में दो बार समयवृद्धि भी दी जा चुकी है। समयवृद्धि के साथ समाप्ति तिथि 14–02–2023 थी उसके उपरान्त भी लगभग 15 दिन का समय व्यतीत हो चुका है परन्तु वर्तमान तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जिसमें मुख्यतः DBM एवं Bituminous Concrete (BC) का कार्य अपूर्ण है तथा आर0सी0सी0 कल्वर्ट का कार्य मानकों के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त Roadsside interlocking tiles का कार्य भी गुणवत्तापूर्ण एवं मानकों के अनुसार नहीं है। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु आपको दूरभाष एवं कार्यालय पत्रांक संख्या 4515/अभि0नि0–6/गीडा/2022–23, दिनांक 02 दिसम्बर 2022, पत्रांक संख्या 5394/अभि0नि0–6/गीडा/2022–23, दिनांक 24 जनवरी 2023 एवं पत्रांक संख्या 5701/अभि0नि0–6/गीडा/2022–23, दिनांक 20 फरवरी 2023 के द्वारा अवशेष कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु अतिरिक्त श्रमिक स्टाफ एवं मशीनरी बढ़ाकर कार्य पूर्ण करने को निर्देशित किया

गया था। परन्तु आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई रूचि नहीं ली जा रही है जिससे आपकी लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित होती है जो कि अत्यन्त खेदजनक है। गारमेंट पार्क सेक्टर–26 गीडा की अतिमहत्वाकांक्षी योजना है, आवंटियों को भूखण्डों के कब्जे दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके बावजूद भी कार्यों की प्रगति यथावत है। अतः आपको अंतिमबार निर्देशित किया जाता है कि कार्य स्थल पर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार मानक गुणवत्ता के साथ 15 दिन में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा अनुबन्ध के नियमानुसार फर्म को काली सूची में डाले जाने एवं अवशेष कार्यों को आपके रिस्क एण्ड कॉस्ट पर कराये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वंय जिम्मेदार होंगे।" उक्त अन्तिम नोटिस निर्गत होने के उपरान्त वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को निर्देशित किया गया है कि फर्म द्वारा दिये गये उत्तर पर आख्या 03 दिन में प्रस्तुत करें। जिसके क्रम में वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) द्वारा दिनांक 27.03.2023 को अवगत कराया गया कि "अनुबन्ध संख्या 2464 दिनांक 26.10.2021 के द्वारा गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर–26 भीटीरावत में गारमेन्ट कलस्टर के अन्तर्गत 18 मीटर चौड़ी सड़क (650 मीटर) निर्माण कार्य हेतु मेसर्स ए0के0 ट्रेडर्स (प्रोपराइटर–श्री अभिषेक सिंह), पता–म0नं0–सी/185 सी (निकट शिव मंदिर) मोहल्ला–बिलन्दपुर, गोरखपुर को अनुबन्धित किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 25.11.2021 एवं समाप्ति की तिथि 24.05.2022 थी। कार्यहित में फर्म को दो बार समयवृद्धि भी दी जा चुकी है। समयवृद्धि के साथ समाप्ति 14.02.2023 थी। परन्तु फर्म द्वारा [redacted] वर्तमान तक कार्य को पूर्ण नही किया गया है। जिसमें मुख्यतः डब्ल्यू0एम0एम0, डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 के कार्य अवशेष है इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा स्थल पर इण्टरलॉकिंग, ब्रिकवर्क, कल्वर्ट एवं ड्रेन का कार्य गुणवत्तापूर्वक मानको के अनुसार नही है। कार्य की प्रगति बढ़ाकर गुणवत्तापूर्वक कार्य करने हेतु पत्रांक संख्या 4515/अभि0नि0–6/गीडा/2022–23, दिनांक 02 दिसम्बर 2022, पत्रांक संख्या 5394/अभि0नि0–6/गीडा/2022–23 दिनांक 24 जनवरी 2023 एवं पत्रांक संख्या 5701/अभि0नि0–6/गीडा/2022–23 दिनांक 20 फरवरी 2023 को प्रेषित किये गये। उसके पश्चात फर्म ए0के0 ट्रेडर्स अपने पत्रांक शून्य दिनांक 13.03.2023 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सम्बोधित करते हुए गीडा प्राधिकरण में दिया गया। जिसमें अवगत कराया गया है कि "उक्त अनुबन्ध के सापेक्ष 90 प्रतिशत कार्य को पूर्ण किया गया है। जिसके सापेक्ष मात्र 45 प्रतिशत का भुगतान किया गया है। ठेकेदार द्वारा अपने पत्र मे स्थल पर किये गये कार्यो के भुगतान की मांग की गई जिससे अवशेष कार्यो को पूर्ण कराया जा सके। उक्त के सम्बन्ध में स्थल पर किये गये कार्यों का मदवार विवरण सूची अवर अभियन्ता द्वारा तैयार की गई है (संलग्न)। फर्म को अनुबन्धित धनराशि रू0 2,81,19,923.39 के विरूद्ध फर्म को रू0 1,89,87,823.36 (लगभग 67.5 प्रतिशत) का भुगतान फर्म को गीडा द्वारा दिनांक 22.12.2022 को किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा स्थल पर इण्टरलॉकिंग टाईल्स, ब्रिकवर्क, कल्वर्ट, ड्रेन का कार्य लगभग रू0 31,46,834.00 का किया गया है। जो गुणवत्ता मानको के अनुसार नही है। **ठेकेदार को गुणवत्ता मानक के अनुरूप कार्यो को कराये जाने हेतु उपरोक्त पत्रो के माध्यम से सूचित किया गया है। परन्तु स्थल पर फर्म द्वारा कार्यो के गुणवत्ता में सुधार नही किया गया। उक्त कार्य के अतिरिक्त स्थल पर डब्ल्यू0एम0एम0, डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 का कार्य धनराशि रू0 69,01,666.00 का कार्य कराया जाना अवशेष है। अतः फर्म द्वारा उक्त कराये गये कार्यो की गुणवत्ता मानको के अनुसार सुधार कराये जाने के उपरान्त एवं अवशेष कार्यो को पूर्ण करने के पश्चात ही भुगतान किया जाना सम्भव होगा।"** श्री जय शंकर प्रसाद, अवर अभियन्ता (सिविल) द्वारा अपने पत्र संख्या 6205/गीडा/अभि0नि–6/2022–23 दिनांक 24.03.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है

कि "अनुबन्ध संख्या–2464 दिनांक 26.10.2021 के विरूद्ध कार्य की आख्या के संबंध में अनुबन्धित धनराशि रू0 2,81,19,923.39 के विरूद्ध फर्म को रू0 1,89,87,823.36 (लगभग 67.5 प्रतिशत) का भुगतान फर्म को गीडा द्वारा दिनांक 22.12.2022 तक कर दिया गया है। **शेष किये गये कार्यो के संबंध में फर्म को सन्दर्भित पत्र के माध्यम से कार्यो को मानक के अनुरूप किये जाने हेतु सूचित भी किया गया है, परन्तु फर्म द्वारा वर्तमान तक कार्य मानक के अनुरूप पूर्ण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त WMM, DBM, BC एवं अन्य विविध कार्यो को पूर्ण किया जाना शेष है। अतः उक्त का संज्ञान लेते हुये उचित निर्देश देना चाहें।"**

उपर्युक्त तथ्यों का परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि निर्धारित समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त मेसर्स ए0के0 ट्रेडर्स द्वारा उक्त नोटिस का संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही स्थल पर कार्य पूर्ण किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि मेसर्स ए0के0 ट्रेडर्स को अपने स्तर से कुछ नहीं कहना है और न ही कार्य करने में उनकी कोई रूचि है। **जिसके कारण अनुबंध की शर्तों एवं वित्तीय नियमावली का उल्लंघन फर्म द्वारा किया जा रहा है। जिससे प्राधिकरण की छवि खराब हो रही है तथा उच्च प्राथमिकता की परियोजना में विलम्ब हो रहा है।**

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर विचारोपरान्त मेसर्स ए0के0 ट्रेडर्स (प्रोपराइटर–श्री अभिषेक सिंह), पता–म0नं0 सी0/185सी (निकट शिव मंदिर), मोहल्ला बिलन्दपुर, गोरखपुर को उक्त कार्य हेतु जमा धरोहर धनराशि एवं परफारमेन्स सिक्योरिटी जब्त करते हुये फर्म/ठेकेदार को 02 वर्षों के लिये **काली सूची** (Black List) में डाले जाने का आदेश एतद्‌द्वारा पारित किया जाता है एवं अवशेष कार्यों को फर्म मेसर्स ए0के0 ट्रेडर्स के रिस्क एवं कास्ट पर कराये जाने का आदेश किया जाता है।

ह0

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांकः 6333 /गीडा/अभि0नि0–6/2022–23 दिनाँकः 29- मार्च, 2023

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1– जिलाधिकारी महोदय, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2– नगर आयुक्त, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि सभी कार्यदायी संस्थाओं को पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
5– मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर को सूचनार्थ।
6– वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मौके का निरीक्षण कर अवशेष कार्य मेसर्स ए0के0 ट्रेडर्स के रिस्क एण्ड कॉस्ट पर किसी अन्य फर्म से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।
07– मेसर्स ए0के0 ट्रेडर्स (प्रोपराइटर–श्री अभिषेक सिंह), पता–म0नं0 सी0/185सी, (निकट शिव मंदिर), मोहल्ला बिलन्दपुर, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
08– वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
09– नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

29/03/2023
(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी